

15-03-24 पत्रावली पेश। वकील वाही या
वाही स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज
लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः
वाही का यह वाद पत्र आइम पैरवी -
आइम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली बाद तरीक
लकमील होकर हाजिल दफ्तार हो।

मिनिय लिखाया जाकर खुदके व्यापार
में सुनया गया।

(मनोद---
R.A.S.)